

न्यायालय तहसीलदार बयाना (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी—श्री गिर्राज प्रसाद बंसल तहसीलदार बयाना)

प्र0स050/19..... ता0 रजु. 16-9-19..... किरम मुकदमा 91 एलआर एक्ट निर्णय दिनांक 26-9-19

सरकार

बनाम

शमचरत पुत्र प्यारे धाकड वृम्हवाड


निर्णय

पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का वृम्हवाड ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है कि ग्राम वृम्हवाड के खसरा न0 398,399 रकवा 0.19 हैक्ट में से रकवा 0.08 हैक्ट किस्म भूमि पारागाह पर सम्वत 2076 में श्री शमचरत पुत्र प्यारे धाकड वृम्हवाड तह0 बयाना ने वाजरा कर अतिक्रमण कर लिया है।

हल्का पटवारी रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। जो शामिल मिसिल है। अप्रार्थी न्यायालय हाजा में उपस्थित / अनुपस्थित हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अप्रार्थी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही अमल में लायी जाना आवश्यक है। अतिक्रमी द्वारा राजकीय पारागाह भूमि पर विधि विरुद्ध अतिक्रमण किया जाना साबित होता है अतः अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल करना राज्यहित में आवश्यक है।

अतः आदेश है कि अतिक्रमी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही कर अतिक्रमित खसरा नम्बर 398,399 रकवा 0.08 हैक्ट वाके ग्राम वृम्हवाड से बेदखल किया जाता है। लगान 1-28 का 50 गुणा पैन्ल्टी राशि 64/- रुपये से दण्डित किया जाता है। पैन्ल्टी की मांग कायमी टी0आर0ए0 हाजा से कराई जावे। पैन्ल्टी वसूली खडी फसल को कब्जेराज लेकर फर्द नीलामी/अवैध कब्जा/ बेदखली बाबत हल्का पटवारी/गिरदावर को आदेश जारी हों।

पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 26-9-19 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


तहसीलदार
बयाना (भरतपुर)



इस पत्रावली का वाक बांभर,
क. वे. सं. 04 के वेक नं.
दिनांक 26/9/19 को बर् 2018-29
पैन्ल्टी रु. 64/- फसल नीलामी
को जा चुकी है।

उपरोक्त राजस्व वेदाकार
तहसील बयाना